स्वीकृत्यादेश संख्या– 02 / न0प्र0वि0 / DAY-NULM / अस्थायी आश्रयगृह संचालन / 362 / 2018 / 153

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य योजना OSP / TSP

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

राँची / दिनांक – 18/12/18

विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक अन्तर्गत संचालित होने शहरी बेघरों के लिए संचालित होने वाले आश्रयगृहों हेतु चिन्हित भवनों को सुविधा युक्त / संचालन योग्य बनाने के निमित् होने वाले व्यय का वहन हेतु शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान, राज्य योजना के OSP एवं TSP मद से कुल 2,70,00,000/– (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए संचालित होने वाले आश्रयगृहों हेतु चिन्हित भवनों को सुविधा युक्त / संचालन योग्य बनाने के निमित् आवश्यक साजों समान तथा लघु स्तरीय मरम्मति की आवश्कता है ।

2. विदित हो कि वाद संख्या **WP(C) 55 / 2003 E R Kumar & Ors Vs Union of India &Ors** के मामले में मा0 उच्चतम् न्यायालय के न्यायादेश में महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम एक–एक इकाई संचालित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है । इस हेतु नव चिन्हित भवन तथा पूर्व से संचालित कुल 91 आश्रयगृहों के, प्रत्येक आश्रयगृह में आवश्यकता अनुसार एवं न्यूनतम 10 शैय्या के लिए सुविधा युक्त / संचालन योग्य व्यवस्थाएँ (यथा चौकी / पलंग / लोहे की खाट बॉक्स सहित, गद्दा ,चादर एवं तकिया, कंबल, मच्छड़दानी, पीने का पानी, रूम हीटर, चालू अवस्था में शौचालय एवं स्नान करने की सुविधा, पर्याप्त जल एवं प्रकाश की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की सामग्री, नशामुक्ति की सुविधा आदि की व्यवस्था एवं आवश्यक लघु स्तरीय मरम्मति यथा भवनों की रगांई–पोताई, खिड़की एवं दरवाजों की मरम्मति एवं अन्य कार्यो) आदि हेतु प्रत्येक आश्रयगृह के लिए 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) रूपये के दर से TSP मद से कुल 1,62,00,000/– (एक करोड़ बासठ लाख रूपये) तथा OSP मद से कुल 1,08,00,000/– (एक करोड़ आठ लाख रूपये) रूपये अर्थात् कुल 2,70,00,000/– (दो करोड़ सत्तर लाख रूपये) की राशि की स्वीकृति एवं आवंटित की जाती है। निकायवार विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना निम्नवत् है:–

TSP मद से

क0 सं0	निकाय का नाम	आश्रयगृहों की संख्या	कुल विमुक्ति की राशि रूपये में	संबंधित कोषागार का नाम
1	Ranchi Municipal Corporation	11 (05 इकाई महिलाओं के लिए)	33,00,000/-	Ranchi

153
18/12/18

2	Bundu Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Ranchi
3	Lohardaga Municipal Council	2	6,00,000/-	Lohardaga
4	Simdega Municipal Council	1	3,00,000/-	Simdega
5	Gumla Municipal Council	1	3,00,000/-	Gumla
6	Khunti Nagar Panachayat	2	6,00,000/-	Khunti
7	Dumka Municipal Council	1	3,00,000/-	Dumka
8	Basukinath Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Dumka
9	Sahibganj Municipal Council	1	3,00,000/-	Sahibganj
10	Rajmahal Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Rajmahal Sub treasury
11	Barharwa Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Sahibganj
12	Pakur Nagar council	2	6,00,000/-	Pakur
13	Jamtara Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Jamtara
14	Mihijam Municipal council	2	6,00,000/-	Jamtara
15	Mango NAC	1	3,00,000/-	Jamshedpur
16	Jamshedpur NAC	6 (03 इकाई महिलाओं के लिए)	18,00,000/-	Jamshedpur
17	Chakulia Nagar Panchayt	2	6,00,000/-	Ghatshila Sub treasury
18	Jugsalai Municipality	2	6,00,000/-	Jamshedpur
19	Adityapur Municipal Corporation	2 (01 इकाई महिलाओं के लिए)	6,00,000/-	Saraikela
20	Saraikela Nagar panchayat	1	3,00,000/-	Saraikela
21	Kapali Municipal Council	2	6,00,000/-	Saraikela
22	Chaibasa Municipal Council	2	6,00,000/-	Chaibasa
23	Chakradharpur Municiapl Council	2	6,00,000/-	Chakradharpur
24	Latehar	1	3,00,000/-	Latehar
Total		54	1,62,00,000/-	

OSP मद से

क0 सं0	निकाय का नाम	आश्रयगृहों की संख्या	कुल विमुक्ति की राशि	संबंधित कोषागार का नाम
1	Dhanbad Municipal Cporporation	1	3,00,000/-	Dhanbad
2	Chirkunda Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Dhanbad
3	Hazaribagh Municipal Corporation	1	3,00,000/-	Hazaribagh
4	Chas Municipal Corporation	1	3,00,000/-	Bokaro
5	Phusro Municiapl Council	2	6,00,000/-	Tenughat Sub Treasury
6	Giridih Municipal Corporation	2	6,00,000/-	Giridih
7	Ramgarh Municipal Council	1	3,00,000/-	Ramgarh
8	Chatra Municipal Council	2	6,00,000/-	Chatra
9	Koderma Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Koderma
10	Jhumaritelia Municipal Council	2	6,00,000/-	Koderma
11	Domchanch Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Koderma
12	Deoghar Municipal Corporation	1	3,00,000/-	Deoghar
13	Madhupur Municipal Council	2	6,00,000/-	Madhupur Sub treasury
14	Godda Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Godda
15	Garhwa Municipal Council	1	3,00,000/-	Garhwa
16	Nagar Untari Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Garhwa
17	Manjhiyaon Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Garhwa
18	Medninagar Municipal Council	2	6,00,000/-	Palamu
19	Hussainabad Nagar Panchayat	2	6,00,000/-	Palamu
20	Bisharamur Municipal Council	2	6,00,000/-	Palamu
21	Chhatarpur Nagar panchayat	2	6,00,000/-	Palamu
Total		36	1,08,00,000/-	

153
18/12/18

3. **OSP** से कुल 1,08,00,000/– (एक करोड़ आठ लाख) रूपये की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की मांग संख्या 48 के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य– लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता –उपशीर्ष–37–शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहायय् अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780191370679 अन्तर्गत उपबंधित कुल राशि 200.00 लाख रूपये से विकलनीय होगी।

153
18/12/18

TSP से कुल 1,62,00,000/– (एक करोड़ बासठ लाख) रूपये की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की मांग संख्या 48 के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य– लघुशीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना –उपशीर्ष–37–शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहायय् अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780796370679 अन्तर्गत उपबंधित कुल राशि 250.00 लाख रूपये से विकलनीय होगी।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी होंगे ।
5. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनिवार्य रूप से निकासी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य का अनुश्रवण नगरीय प्रशासन निदेशालय के द्वारा, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
7. वर्णित कार्य का भुगतान PFMS के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा।
8. उक्त योजना अन्तर्गत विगत वर्ष के पूर्व के वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों को कोई राशि आवंटित नहीं की गयी हैं। अतएव उपयोगिता प्रतिवेदन शून्य है।
9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.1998 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
10. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि0 दि0–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के तहत् निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि से योजना कार्यान्वन संबंधित प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी ।
12. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा । भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि0 दि0–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं । अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि0 दिनांक–20.03.2015 के आलोक में राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।
14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 01/न0प्र0वि0/NULM/SUSV-Scheme/16/2016....153..../न0वि0वि, राँची दिनांक....18/12/18..../
प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, झारखण्ड/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत/नगर पालिका/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ,नगरीय प्रशासन निदेशालय,/सचिवालय कोषागार प्रोजक्ट भवन धुर्वा, रांची/ श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड,रांची/लेखा शाखा, नगरीय प्रशासन निदेशालय,राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।